वित्तीयस्वीकृति

No. I/318570 /XXVIII-3-2025-e-file no. 89215/2025

प्रेषक,

डॉ0 आर0 राजेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनु0–3 देहरादून : दिनांक 01 अगस्त 2025

विषय– भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2024–25 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजनान्तर्गत Routine Immunization Programme हेतु Kind Grant के रूप में अवमुक्त 90% केन्द्रांश के सापेक्ष लंबित 10 % राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किए जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–5प/07/बजट अनुभाग–01/18/2025–26/13088 दिनॉकः 30 मई, 2025 एवं पत्र संख्या–5प/07/बजट अनुभाग –01/18/2025–26/17940 दिनॉकः 27 जून, 2025 तथा पत्र संख्या–5प/ 07/बजट अनुभाग–01/18/2025–26/19660 दिनॉकः 19 जुलाई, 2025 के कम में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 मे Routine Immunization Programme के अन्तर्गत Kind Grant के रूप में अवमुक्त 90 प्रतिशत कुल केन्द्रांश रू. 3,39,82,000/ –(रूपये तीन करोड़ उनतालीस लाख बयासी हजार मात्र) के सापेक्ष लंबित 10 प्रतिशत कुल राज्यांश की धनराशि रू. 37,75,778/–(रूपये सैंतीस लाख पिचहत्तर हजार सात सौ अठ्ठहत्तर मात्र) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में संलग्न अलॉटमेंट आई0डी0 के अनुसार निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुये व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

i. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है। धनराशि का आहरण/व्यय संबंधित वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों, बजट मैन्युएल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2019 के अन्तर्गत एवं भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। धनराशि का किसी भी दशा में व्यवर्तन नहीं किया जायेगा।
ii. उक्त अवमुक्त धनराशि नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किस्तों में आहरित एवं व्यय की जाएगी। अवमुक्त की गयी धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2026 तक कर लिया जाये, यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है, तो उसे नियमानुसार शासन को समर्पित किया जायेगा।
iii. उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक व्यय के आधार पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए ही किया जायेगा। अतिरिक्त धनराशि की

प्रत्याशा में धनराशि का अनावश्यक व्यय कदापि न किया जाय।

iv. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग समय–समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समय से भारत सरकार/राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

v. अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि भारत सरकार के आदेशानुसार अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पूर्व में कोई धनराशि तो अवमुक्त नहीं की गयी है, अर्थात् दोहराव की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि ऐसी कोई अनियमितता पायी जाती है तो इस हेतु महानिदेशक–चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

vi. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–12, 30 और 31 की मानक मद 71– केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश के नामे डाला जायेगा।

vii. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–303964/E-77886/XXVII(1)/2025 दिनांक 06 जून, 2025 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा–निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–287566/E-79713/9(150)2019 /XXVII (1)/ 2025 दिनांक 31 मार्च, 2025 के क्रम मे जारी किया जा रहा है।

संलग्नक :–अलॉटमेंट आई0डी0 की प्रति सहित।

भवदीय,

Digitally signed by
Rajan Rajesh Kumar
Date: 31-07-2025
15:00:06

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)
सचिव।

संख्या एवं तिथि तदैव।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1.महालेखाकार, कौलागढ़, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2.मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड,देहरादून।
6.वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/वित्त–1/नियोजन विभाग।
7. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Krishna Kumar Shukla
Date: 31-07-2025
16:17:21

(कृष्ण कुमार शुक्ल)
उप सचिव।